मूल बनाम माधो वगै०

नाम न्यायालय

केस संख्या 48/10 - प्रा०पत्र 0 R.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	31.5.17	पत्रावली पास आपके लाए गये कैम्प परवण पर पेश हुई। पक्षकारान वकील उप०। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना बाबत अप्रार्थी (2) का नाम हजफ का पेश किया। प्रार्थना नाम हजफ स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी (2) का नाम हजफ किया जाता है। प्रार्थना के लाल स्याही से अंकन किया जावे। पत्रावली में पक्षकारान की तामील पूर्ण है। प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना होता है। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत के दृष्टिकोण में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित समझते हैं। अतः परिणामस्वरूप प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 RTA को आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त ख०न० 60/1, 60/3 किता 2 रकबा 11.01 बीघा वाके ग्राम गोकुलपुरा तह०जांगी जि०जयपुर स्थित आराजी के चौका एवं किसी की यथास्थिति बनाये रखे। एक दूसरे के कब्जेशुदा में दखल अन्दाजी नहीं करे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर से कम हो।	